न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
सीगा धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

प्रकरण संख्या 148/2024 (GCMS: **2024/221**)

सरकार जरिये कविता, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

श्री पवन कुमार पुत्र श्री रामस्वरूप आयु 40 वर्ष जाति बिश्नोई निवासी गांव मानकसर, सूरतगढ़ मोबाईल नम्बर 82092-77518

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

27.02.2025

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी पवन कुमार ने पूर्व में जवाब/बहस पेश की हुई है। विभागीय प्रतिनिधि श्री धर्मपाल, प्रवर्तन निरीक्षक उपस्थित हुए। विभागीय प्रतिनिधि को सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है :

स्टेट की ओर से सुश्री कविता, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि दिनांक 27.09.2024 को अवैध पेट्रोल व डीजल की बिक्री की शिकायतों की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ मानकसर गांव स्थित गंगानगर-सूरतगढ चौराहें पर पहुंचे। मानकसर गांव स्थित गंगानगर-सूरतगढ़ चौराहा खाटूश्याम धर्मकांटा के पीछे एक सफेद रंग की पिकअप वाहन संख्या आरजे 13 जीए 3277 की जांच की गई। जांच के दौरान वाहन संख्या आरजे 13 जीए 3277 के अन्दर लोहे का टैंक बना हुआ मिला जो कि एक डिस्पेसिंग मशीन/नोजल जिस पर एक मीटर OGM Quantitative oval Gear meter कम्पनी का लगा हुआ पाया गया। उक्त वाहन संख्या आरजे 13 जीए 3277 के संबंध में पूछताछ करने पर उपस्थित व्यक्ति ने अपना परिचय पवन कुमार पुत्र रामस्वरूप आयु 40 वर्ष जाति बिश्नोई निवासी गांव मानकसर, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर होना बताया। वरवक्त मौका पवन कुमार पुत्र श्री रामस्वरूप से पूछने पर उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:46:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

वाहन स्वयं का होना बताया। मौके पर पवन कुमार की उपस्थिति वाहन संख्या संख्या आरजे 13 जीए 3277 में लोहे के टैंक की क्षमता लगभग 2800—3000 लीटर की है, में लगभग 1125 लीटर (25 अंगूल) डीजल होना पाया गया। पवन कुमार द्वारा वाहन संख्या आरजे 13 जीए 3277 मय वाहन के अन्दर लोहे के टैंक में लगभग 1125 लीटर डीजल के संबंधी दस्तावेज/अनुज्ञा पत्र/अनुमति पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। वरवक्त पूछताछ पवन कुमार ने उक्त वाहन आरजे 13 जीए 3277 ने बताया कि उसके द्वारा उक्त वाहन का उपयोग करते हुए पंजाब के पेट्रोल पंपों से पेट्रोलियम पदार्थ क्रय कर मानकसर गांव स्थित गंगानगर—सूरतगढ़ चौराहा खाटूश्याम धर्मकांटा के पीछे विक्रय किया जाता है। मौके पर पवन कुमार ने पेट्रोल के भण्डारण/परिवहन व बेचान संबंधी कोई अनुज्ञा पत्र/अनुमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया। मौके पर पाये गये वाहन संख्या आरजे 13 जीए 3277 के अन्दर लोहे के टैंक से डीजल की सैम्पलिंग प्रक्रिया शुरू की गई और फर्द सैम्पलिंग तैयार की। जरिये फर्द जब्ती वाहन संख्या आरजे 13 जीए 3277 मय वाहन के अन्दर लोहे के टैंक में लगभग 1125 लीटर डीजल जब्त किये गये। जब्तशुदा वाहन संख्या आरजे 13 जीए 3277 मय वाहन के अन्दर लोहे के टैंक में लगभग 1125 लीटर डीजल को सुपुर्दगी दिया जाकर, सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। पवन कुमार द्वारा अवैध पैट्रोल की खरीद, बेचान, परिवहन व संग्रहण आदि कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की सेक्शन 03 के तहत जारी **मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लाज 02 (क्यू)(आर), 03 (4)(6), 04** का स्पष्ट उल[illegible] इस प्रकार से जब्तशुदा वाहन संख्या आरजे 13 जीए 3277 मय वाहन के अन्दर लोहे के टैंक में लगभग 1125 लीटर डीजल राजसात करने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:46:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अप्रार्थी पवन कुमार दिनांक 29.01.2025 को स्वयं उपस्थित हुए थे और प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया था कि उसके प्रार्थना पत्र को बहस समझ कर, प्रकरण का निस्तारण कर दिया जावे।

अप्रार्थी ने अपनी लिखित बहस में कथन किया है कि प्रार्थी कृषि से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। प्रार्थी को अपनी खेती कार्य हेतु डीजल की आवश्यकता थी, इसलिए प्रार्थी 1125 लीटर अपने खेती कार्य के लिए लेकर आया था और आपके विभाग द्वारा मेरा डीजल मय वाहन संख्या आरजे 13 जीए 3277 को जब्त कर लिया था।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी कोई भी डीजल बिक्री का कार्य नहीं करता है। प्रार्थी अपनी खेती मजबूरी के लिए डीजल लेकर आ रहा था। प्रार्थी अपने डीजल बिल पेश नहीं कर सका और प्रार्थी को अपने वाहन की सख्त आवश्यकता है। प्रार्थी के घर व खेत के सारे काम रूके हुए है। इसलिए प्रार्थी आपके विभाग की सभी शर्तो का पालन करते हुए जो भी **कम से कम जुर्माना राशि लगाकर प्रार्थी का वाहन व डीजल रिलीज करने की प्रार्थना की है।**

इसके विपरीत विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि दिनांक 27.09.2024 को अवैध पेट्रोल एवं डीजल की बिक्री की शिकायत की जांच करने जिला रसद अधिकारी मय स्टाफ गंगानगर—सूरतगढ़ चौराहा खाटुश्याम धर्मकांटा के पीछे पहुंचे तो वहां एक सफेद रंग की पिकअप वाहन संख्या आरजे 13 जीए 3277 खड़ी हुई मिली। उक्त वाहन संख्या आरजे 13 जीए 3277 की जांच करने पर उसके अन्दर लोहे का टैंक बना हुआ था जो कि एक डिस्पेसिंग मशीन/ नोजल जिस पर एक मीटर OGM Quantum Gear Meter कम्पनी का लगा हुआ पाया गया, जो उक्त वाहन से डीजल बिक्री करना साबित करती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:46:48 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि मौके पर गाड़ी में उपस्थित वाहन चालक से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम पवन कुमार पुत्र श्री रामस्वरूप बताया और वाहन व डीजल का स्वयं को मालिक होना बताया। वाहन की जांच करने पर वाहन में बने लोहे के टैंक में चालक द्वारा 1125 लीटर डीजल होना बताया गया, जिसका भौतिक सत्यापन करने पर 1125 लीटर होना पाया गया।

उनका आगे यह भी कथन है कि मौके पर वाहन संख्या आरजे 13 जीए 3277 के बारे पूछताछ में पवन कुमार ने बताया कि उसके द्वारा पंजाब के पेट्रोल पम्प से डीजल लाकर मांग के अनुसार ट्रकों एवं अन्य वाहनों को डीजल विक्रय किया जाता है।

उनका आगे यह भी कथन है कि पिकअप वाहन संख्या आरजे 13 जीए 3277 के वाहन मालिक पवन कुमार पुत्र श्री रामस्वरूप से पेट्रोल डीजल भण्डारण व बेचान सम्बन्धी अनुज्ञा पत्र को प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में पूछताछ पर उनके द्वारा पेट्रोल/डीजल बेचान के लाईसेंस/परमिट प्रस्तुत नहीं किया गया। अप्रार्थी पवन कुमार पुत्र श्री रामस्वरूप द्वारा बिना अनुमति अनुज्ञापत्र के उक्त वाहन संख्या आरजे 13 जीए 3277 द्वारा पंजाब से डीजल क्रय कर सूरतगढ में उपभोक्ताओं से राशि वसूल कर बेचान करना, **मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 2(क्यू)(आर), 3(4)(6), 4 की स्पष्ट उल्लंघना किये जाने के कारण, उससे** जब्तशुदा 1125 लीटर डीजल मय लोहे के टैंक व डिस्पेसिंग यूनिट/नोजल एवं वाहन संख्या आरजे 13 जीए 3277 को राजसात करने की **प्रार्थना की है।**

मैने, विभागीय प्रतिनिधि की बहस एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस पर मनन किया एवं धारा 6ए के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत अन्य संलग्न दस्तावेजों आदि का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तो पाया कि जिला रसद

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:46:48 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अधिकारी, श्रीगंगानगर ने धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि दिनांक 27.09.2024 को सुश्री कविता, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय स्टाफ, सूरतगढ़ बस स्टैण्ड पहुंचे। जहां सफेद रंग की पिकअप वाहन संख्या आरजे 13 जीए 3277 मिला। उक्त वाहन की जांच की गई तो पाया कि **वाहन संख्या आरजे 13 जी ए 3277 के अन्दर लोहे का टैंक बना हुआ मिला जो कि एक डिस्पेसिंग मशीन/नोजल जिस पर एक मीटर** OGM Quantitative oval Gear Meter **लगा हुआ पाया गया।** मौके पर वाहन चालक से पूछने पर चालक ने स्वयं का नाम पवन कुमार पुत्र श्री रामस्वरूप बताया तथा उक्त वाहन एवं डीजल स्वयं का होना बताया। मौके पर वाहन की जांच करने पर वाहन में बने लोहे के टैंक के चालक द्वारा 1125 लीटर डीजल होना बताया गया। जिसका भौतिक सत्यापन करने पर 1125 लीटर डीजल होना पाया गया। पूछताछ में पवन कुमार ने बतया कि उक्त वाहन आरजे 13 जीए 3277 का उपयोग करके पंजाब के पेट्रोल पंपों से डीजल क्रय कर मांग के अनुसार ट्रकों एवं अन्य वाहनों को विक्रय किया जाना बताया है। पवन कुमार द्वारा वाहन संख्या आरजे 13 जीए 3277 मय वाहन के अन्दर लोहे के टैंक में लगभग 1125 लीटर डीजल के खरीद संबंधी बिल/रसीद प्रस्तुत नहीं किये गये और न ही मौके पर पवन कुमार द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण/परिवहन व बेचान संबंधी कोई अनुज्ञा पत्र/अनुमति पत्र प्रस्तुत किया गया। मौके पर वाहन संख्या आरजे 13 जीए 3277 मय 1125 लीटर डीजल मय लोहे के टैंक व डिस्पेसिंग यूनिट/नोजल जिस पर एक मीटर OGM Quantitative oval Gear Meter को जरिये फर्द मौका मय वाहन के जब्त किये गये। **अप्रार्थीगण** द्वारा बिना अनुमति/अनुज्ञापत्र अवैध पेट्रोल की खरीद बेचान परिवहन व संग्रहण आदि कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 03 के तहत जारी **मोटर**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:46:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लाज 02 (क्यू)(आर), 03 (4)(6), 04 का स्पष्ट उल्लंघन है। इस प्रकार से जब्तशुदा वाहन संख्या आरजे 13 जीए 3277 मय वाहन के अन्दर लोहे के टैंक में लगभग 1125 लीटर डीजल राजसात करने की प्रार्थना की है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 के अनुसार इस तथ्य का भार अप्रार्थी पर ही था कि उसके द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बने किसी भी अधिनियम, नियम, आदेश, अध्यादेश तथा अधिसूचना की अवहेलना नही की हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 निम्न प्रकार से हैः—

> **"जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किये गये किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज** के **बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध करता है, वहां यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है उसी पर होगा।"**

पत्रावली के **अवलोकन से पाया कि** अप्रार्थी ने अपने लिखित बहस में कथन किया है कि जब्तशुदा वाहन संख्या आरजे 13 जीए 3277 प्रार्थी पवन कुमार पुत्र रामस्वरूप का होना बताया है। अधिवक्ता द्वारा स्वयं ने अपनी लिखित बहस में उक्त वाहन में 1125 लीटर डीजल परिवहन करना स्वीकार किया है।

जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अप्रार्थी पवन कुमार से वाहन संख्या आरजे 13 जीए 3277 मय 1125 लीटर डीजल जब्त किया गया है। अप्रार्थी पवन कुमार द्वारा क्रय/विक्रय/भंडारण/परिवहन करने व कब्जे में रखने का कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र पेश नहीं किया है। जिससे भी स्पष्ट है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:46:48 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अप्रार्थी पवन कुमार द्वारा अवैध पेट्रोलियम पदार्थ की खरीद, बेचान, परिवहन व संग्रहण किया जा रहा था। जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण के साथ फर्द मौका मय जब्ती पेश की है जिसमें अप्रार्थी पवन कुमार ने उक्त वाहन संख्या आरजे 13 जीए 3277 में पंजाब से पेट्रोल पम्प से डीजल लाकर मांग के अनुसार ट्रकों एवं अन्य वाहनों में डीजल/पेट्रोल विक्रय किया जाता है, जिस पर अप्रार्थी पवन कुमार ने सहमति जाहिर करते हुए, हस्ताक्षर भी किये है, जिसकी मूल प्रति पत्रावली में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी के वाहन में लोहे का टैंक बना हुआ मिला जो कि एक डिस्पेसिंग मशीन/नोजल जिस पर एक मीटर OGM Quantitative oval Gear Meter लगा हुआ पाया गया, जो साबित करता है कि अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से डीजल का बेचान किया जाकर, वाहन में लगे मीटर के अनुसार उपभोक्ताओं से राशि वसूल की जाती है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के पृष्ठ संख्या 187—188 पर दिये गये विलायकों के वर्गीकरण बिन्दु संख्या 12(2) निम्नानुसार अवलोकनीय है:

> 12(1) ....
>
> 12(2) उपरोक्त सभी पेट्रोलियम पदार्थों के भण्डारण हेतु विस्फोटक विभाग द्वारा पेट्रोलियम अधिनियम 1934 की धारा में दी गई छूट के अलावा अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती है। 30 लीटर पेट्रोलियम वर्ग "क", 2500 लीटर अविपुल पेट्रोलियम वर्ग "ख" एवं 5000 लीटर वर्ग "ग" का भण्डारण बिना अनुज्ञप्ति के किया जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:46:48 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

इस प्रकार आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के अनुसार 30 लीटर पेट्रोलियम वर्ग क, 2500 लीटर अविपुल पेट्रोलियम वर्ग ख तथा 5000 लीटर वर्ग ग के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति(License) किया जा सकता है इससे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति(License) की आवश्यकता है जबकि अप्रार्थी से 1125 लीटर डीजल का भण्डारण एवं बेचान करते हुए जब्त किया गया है। बिना अनुज्ञप्ति (License) एवं बिना किसी सुरक्षा पेट्रोलियम उत्पाद के परिवहन के कारण दुर्घटना होने की संभावना रहती है।

पत्रावली में उपलब्ध लिखित जवाब/बहस के साथ अप्रार्थी ने किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है, इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी के अधिवक्ता जानबूझकर कानूनी प्रावधानों को विफल करने के लिए अप्रार्थी से उक्त जब्तशुदा 1125 लीटर डीजल को खेती कार्य में प्रयुक्त होना बताया जा रहा है, जो सही प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार से न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य पेश करने वाले व्यक्ति किसी प्रकार से राहत प्राप्त नहीं कर सकते।

इस प्रकार अप्रार्थी के कब्जे से उसके वाहन में 1125 लीटर डीजल बेचान करते हुए प्राप्त हुआ है तथा अप्रार्थी पवन कुमार के पास उक्त मात्रा में डीजल/पेट्रोल परिवहन/बेचान व कब्जे में रखने का कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र भी नही है। इस प्रकार अप्रार्थी डीजल/पेट्रोल के अवैध कारोबार में लिप्त है जो मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 2(क्य)(आर), 3(4)(6), 4 का स्पष्ट उललंघन किया है।

अप्रार्थी ने उक्त डीजल क्रय/विक्रय/भण्डारण/परिवहन करने व कब्जे में रखने का कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र पेश नहीं किया है। जबकि रेफिनेट

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:40:48 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटो मोबाईल में उपयोग का निवारण) आदेश 2000 के पृष्ठ संख्या 187–188 के बिन्दु संख्या 12 में निम्नानुसार अवलोकनीय हैः

विलायकों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में – स्पष्टीकरण

(12) पत्रांक : पी–3/जयपुर दिनांक 04.06.2002 द्वारा उपमुख्य विस्फोटक नियंत्रक, जयपुर वास्ते जिला रसद अधिकारी, जयपुर तथा जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर व उपायुक्त (प्रथम) खाद्य विभाग

(1) पेट्रोलियम उत्पदों का वर्गीकरण – पेट्रोलियम नियम 2002 के अन्तर्गत पेट्रोलियम पदार्थो का वर्गीकरण उनके फ्लैश प्वाईन्ट के अनुसार किया गया है। पेट्रोलियम पदार्थ जिनका फ्लैश प्वाईन्ट 23 अंश से.ग्रे. से नीचे होता है वह सभी **वर्ग क** में आते है एवं जिनका फ्लेश प्वाईन्ट 23 अंश से.ग्रे. से अधिक व 65 अंश से.ग्रे. से नीचे होता है, वे ख में आते है एवं **जिनका फ्लेश प्वाईंट 65 अंश से.ग्रे. से अधिक एवं 95 अंश से.ग्रे. से नीचे होता है, ये सभी वर्ग ग में वर्गीकृत किये गये है।**

Class A : Hexane, NGL, Heptane
Class B : MTO,C-9,Solvent/rafinates, C-9 raffinates-Solvent90, lomex
Class C : Furance Oil (FO), Lighet Diesel Oil(LDO, Aromex

बाकी पेट्रोलियम उत्पाद जैसे एसबीपी स्प्रीट/एसबीपी सोलवेन्ट, पेन्टेन, सिक्सोन, रिसोल, एरोमेक्स, लोमेक्स, फ्लेश प्वाईन्ट के अभाव में श्रेणी बता पाना मुश्किल है।

(2) **उपरोक्त सभी पेट्रोलियम पदार्थो के भण्डरण हेतु विस्फोटक विभाग द्वारा पेट्रोलियम अधिनियम 1934 की धारा में दी गई छूट के** अलावा **अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती है। 30 लीटर पेट्रोलियम वर्ग क, 2500 लीटर पेट्रोलियम वर्ग ख एवं 5000 लीटर** ... **अनुज्ञप्ति के किया जा सकता है।**

....

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:46:48 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

इस प्रकार आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के अनुसार वर्ग "क" के 30 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति(License) किया जा सकता है इससे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति(License) की आवश्यकता है तथा वर्ग "ख" के 2500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति(License) किया जा सकता है इससे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति(License) की आवश्यकता है। जबकि अप्रार्थी द्वारा 1125 लीटर डीजल "भण्डारण एवं बेचान" करते जब्त किया गया हैं, जिसके सम्बन्ध में उसमें डिस्पेसिंग यूनिट/नोजल जिस पर एक मीटर OGM Quantitative oval Gear Meter भी लगा हुआ पाया गया है। इसलिए उक्त अप्रार्थी से जब्तशुदा उक्त पिकअप वाहन संख्या आरजे 13 जीए 3277 मय डीजल के राजसात करने योग्य ठहरते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के पृष्ठ संख्या 187—188 पर दिये गये विलायकों के वर्गीकरण बिन्दु संख्या 12(2) की अवेहलना के कारण जब्तशुदा 1125 लीटर डीजल एवं वाहन संख्या आरजे 13 जीए 3277 भी राजसात किये जाते है।

चूंकि उक्त जब्तशुदा वाहन डीजल व पैट्रोल के अवैध कारोबार में लिप्त पाया गया है इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त कलक्टर गंजम व अन्य बनाम [illegible] 2009 डीएनजे (एससी) पेज 340 के अनुसार वाहन राजसात करने की दशा में वाहन के एवज में वाहन के

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:46:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

बाजार मूल्य तक जुर्माना लगाया जा सकता है। जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक रसद/अभियोजन/2024/2836 दिनांक 03.12.2024 के अनुसार जब्तशुदा वाहन संख्या आरजे 13 जीए 3277 का अनुमानित बाजार भाव 70,000/— रूपये है। इसलिए वाहन पर 60,000/— रूपये जुर्माना अरोपित किया जाता है और यदि वाहन स्वामी उक्त जुर्माना राशि अदा कर देवें तो जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर उक्त वाहन को नियमानुसार वाहन स्वामी को सुर्पुद कर देवें अन्यथा नियमानुसार वाहनों को विक्रय किया जाकर विक्रय राशि स्थाई रूप से राजकोष में जमा करवायें।

चूंकि पूर्व में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक (1990)2 दृष्टांत **Shambu Dyal Aggarwal Versus State of Bangarl & Anr. Page 665, State of Bihar & Anr. versus Arvini Kumar & Anr. 2012 Cr. L.R. (SC)(726) and - Madras High Court CRIMES 1992(1) K.P. Francis V State by Inspector of Police and Page 56** में दिये गये मार्गदर्शन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(2)(i) के प्रावधानों के अन्तर्गत जब्तशुदा उक्त 1125 लीटर डीजल के अन्तरिम निस्तारण करने के आदेश दिये गये थे अब उक्त राजसात किये गये 1125 लीटर डीजल की विक्रय राशि एवं अन्य को विक्रय कर राशि स्थाई रूप से राज्य पक्ष में राजकोष में जमा करवाने के लिए जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेश दिये जाते है।

चूंकि धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की कार्रवाई एवं राजस्थान वैट अधिनियम 2003 के अन्तर्गत वैट सम्बन्धी कार्रवाई अलग—अलग है। 6ए की कार्रवाई के लिए निम्न साक्षी कर्ता सक्षम है। राजस्थान वैट अधिनियम 2003 के अन्तर्गत कार्रवाई करने के लिए सम्बन्धित वाणिज्य कर विभाग ही सक्षम है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:46:48 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अति. आयुक्त/उपायुक्त (प्रशासन), राज्य कर, श्रीगंगानगर के द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम 2003 एवं राजस्थान जी.एस.टी. अधिनियम 2017 के तहत कोई कार्रवाई हो तो वह अलग से जारी रखे। **अतः वाहन रिलिज करने से पूर्व वाणिज्य कर विभाग का कोई राज्य सरकार का राजस्व देय बनता है तो सरकार का राजस्व सुनिश्चित करने पर ही वाहन रिलिज करना सुनिश्चित करें।**

चूंकि उक्त प्रकरण में 1125 लीटर डीजल एवं उक्त वाहन संख्या आरजे 13 जीए 3277 को राजसात करने के आदेश दिये गये है। माननीय उच्चतम न्यायालय के **न्यायिक दृष्टान्त कलक्टर गंजम व अन्य बनाम रमेश चन्द्र पांधी 2009 डीएनजे (एससी) पेज 340 के अनुसार जब्त वाहन के बाज़ार मूल्य के बराबर जुर्माना लगाया जा सकता है। उक्त जब्तशुदा पिकअप वाहन आरजे 13 जीए 3277 का बाजार मूल्य 70,000/— रूपये है। इसलिए उक्त पिकअप वाहन नम्बर आर जे 13 जीए 3277 पर 60,000/— रूपये जुर्माना आरोपित किया जाता है और जुर्माना अदा करने पर ही वाहन रिलीज करने के आदेश दिये जाते है।** राजस्थान वैट अधिनियम 2003 एवं राजस्थान जी.एस.टी. अधिनियम 2017 के तहत कोई कार्रवाई हो तो उसे इस प्रकरण से अलग किया जाकर, जारी रखा जावे। इस आदेश की प्रति अति. आयुक्त/उपायुक्त (प्रशासन), राज्य कर, श्रीगंगानगर एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज **दिनांक 27.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।**

Manju

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:46:48 IST
Reason: SelfAttested